27.11.24	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण में पूर्व में उभय पक्ष की बहस सुनी गई. वाद वादीगण का दस्ता वेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर सिद्ध नहीं होने से दावा खारिज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली ~~को~~ सल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या :– 59/2007

महिपालसिंह आत्मज स्व. राव जगन्नाथसिंह जी राजपूत निवासी पारसोली तहसील बेगूँ के बजाए :–

1/1–अजय जीतसिंह आत्मज स्व. महिपालसिंह जी राजपूत निवासी पारसोली

1/2–श्रीमती हंसाकुमारी पत्नि स्व. महिपालसिंह जी राजपूत निवासी पारसोली

वादीगण

विरूद्ध

1– श्री राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलेक्टर महोदय, चितौडगढ़

2– श्रीमान तहसीलदार साहब, बेगूँ

3– श्रीमान वन मंडल जिला वन अधिकारी महोदय चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री सत्यनारायण ईनाणी
अधिवक्ता वादीगण
श्री तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार राज.सरकार
श्री सुरेश चन्द्र टेलर
अधिवक्ता प्रतिवादी–3

निर्णय दिनांकः– 27.11.2024

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते घोषणा

वादीगण का वादपत्र इस प्रकार से है कि वादी की माता स्व0 हेमकुंवर जी पत्नी स्व0 राव जगन्नाथसिंह जी चौहान निवासी पारसोली की पारसोली ठीकाने के पूर्व जागीरदार साहब जगन्नाथसिंह ने मौजा पारसोली तह0 बेगूँ की आराजी नं0 7 मे से 40 बीघा भूमि दिनांक 30.05.50 को जरिये पट्टा संख्या 115/3 के प्रदत्त की जो श्रीमती हेमकुंवर जी के कब्जे चली आ रही थी और उनका स्वर्गवास हो जाने के से वादी जरिये वसीयत उनका वारिस बना और उनके उत्तराधिकारी के रूप में इस आराजी पर काबीज है। यह आराजी वर्तमान भू–प्रबन्ध की आराजी नं0 145 मे दर्ज हुयी है किन्तु मिलान खसरे में त्रुटि होकर आराजी नं0 7 के बजाए 9 दर्शित कर दिया गया जबकि मौके पर यह आराजी वर्तमान आराजी नं0 45 में ही स्थित है।

यह कि आराजी कर्मचारियो की लापरवाही से रेकार्ड में वादी की माता स्व0 हेमकुंवर जी के नाम दर्ज नही हुयी एवं चूँकि वक्त ठीकाना बिलानाम थी जो भू–प्रबन्ध मे भी बिलानाम दर्ज होनी चाहिए थी किन्तु काटफांस कर प्रतिवादी सं0 3 वन विभाग के खाते कर दी जो पूर्णतया गलत है। क्यो कि आराजी जागीर अधिग्रहण के पूर्व ही जागीरदार साहब द्वारा श्रीमती हेमकुंवर को पट्टे पर देदी गयी थी। पारसोली ठीकाना मेवाडा राज्य का प्रथम श्रेणी का ठीकाना है जहॉ के जगीरदार साह को भूमि पट्टे पर देने का पूरा अधिकार था।

यह कि उपरोक्त भूमि को पट्टे के आधार पर रेकार्ड मे दर्ज कराने हु स्व0 श्रीमती हेमकुंवर जी ने एवं वादी ने राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो के समक्ष काफी प्रयास किया किन्तु कोई ध्यान नहीं देने से वादी के लिए यह घोषित कराना आवश्यक है कि मौजा पारसोली तह0 बेगूँ की साबिक आराजी नं0 7 रकबा 40 बीघा जो वादी की माता स्व0 हेमकुंवर जी को पट्टे पर प्राप्त हुआ और जो रकबा वर्तमान में 145 में शामिल हो गया है उसका वादी खातेदार है और रेकार्ड में भी वन विभाग का नाम विलोपित कराकर अपना दर्ज कराने का अधिकारी है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

यह कि वादी ने प्रतिवादीगण को दिनांक 7.08.2006 को धारा 80 जा0दी0 के अन्तर्गत नोटिस देकर रेकार्ड में सुधार करने की मांग की किन्तु कोई परिणाम नही निकला नोटिस की अवधि भी समाप्त हो चुकी है जिससे यह वाद प्रसतुत करना आवश्यक हो गया है। यह कि बिनाय दावा दिनांक 01.07.2006 से एवं नोटिस की तारीख 7.08.2006 से शुरू होती है जो प्रतिदिन हो रही है।

यह कि आराजीयात ग्राम पारसोली तह0 बेगूँ में स्थित है और पक्षकार भी यही के निवासी है और खातेदारी अधिनियम के अन्तर्गत होने से यह वाद समायत न्यायालय आप है।

वादी की प्रार्थना है कि :–

(अ) पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण यह घोषित फरमाया जावे कि मौजा पारसोली तह0 बेगूँ की साबिक आराजी नं0 7 का 40 बीघा रकबा जो वर्तमान आराजी नं0 145 में शामिल हो गया है वह वादी के नाम रेकार्ड में दर्ज कराया जावे ओर वादी को इसका खातेदार घोषित फरमाया जावें।

(ब) खर्चा मुकद्मा प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

(स) अन्य सहायक जो सुलभ हो और न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

वादीगण का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार बेगूँ उपस्थित आए तथा प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री एस. सी.टेलर ने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत कर वन विभाग की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या एक गलत होकर अस्वीकार है वादी की माता स्व. हेमकुंवर जी को कोई पट्टा नहीं दिया गया पट्टा फर्जी होकर कानूनन कोई अस्वित्व नहीं रखता है वादी ने अपनी पत्नी श्रीमती हंसाकुमारी के नाम से भी इसी न्यायालय में दावा कर रखा है और उसमें इसी पट्टे का उल्लेख है जो संभव नहीं था क्यो कि सन 1950 में हंसाकुमारी का वादी के परिवार में कोई अस्वित्व ही नहीं था, इसलिए पट्टा फर्जी होकर कूट रचित है। वादी की माता द्वारा तथाकथित वसीयत का कोई कानूनन प्रभाव नहीं है एवें वह भी वैद्य नहीं है। वर्तमान में आराजी नं. 145 के पुराने नम्बर क्या क्यो है राजस्व रेकार्ड में वादी प्रमाणित करें

यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 2 गलत होकर अस्वीकार है राजस्व रेकार्ड सही है वादी का वाद कानूनन चलने योग्य नहीं है जागीर अधिग्रहण कब हुआ बाद में स्पष्ट नहीं किया गयां पट्टा फर्जी होकर कूटरचित है स्व. जगन्नाथसिंह जी ने कोई प्टा नहीं दिया हैं। वादपत्र की कलम संख्या 3 गलत होकर अस्वीकार है। वादी के तथाकथित प्रयास कानूनन कोई प्रभाव नहीं रखता है वादी को वन विभाग की भूमि को अपने नाम दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं हैं। दिनांक 7.8.2006 के नोटिस का कानूनन कोई महत्व नहीं है वादी को रेकार्ड दुरूस्ती का कोई अधिकार नहीं है। वाद कारण गलत होकर नोटिस से कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता हैं। वाद वादी का स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है।

वादी द्वारा लिखी प्रर्थना गलत होकर अस्वीकार है वादी को फर्जी पट्टे व फर्जी वसीयत के आधार पर कोई वाद लाने का अधिकार नहीं है वाद वादी भारी कोस्ट पर खारीज फरमाया जावें।

पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 राज्य सरकार की ओर से जवाब दावा तहसीलदार बेगूँ द्वारा प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या एक गलत होकर अस्वीकार है। प्रस्तुत पट्टा विधि मान्य नहीं होकर कानूनन कोई अस्तित्व नहीं रखता है। वर्तमान आराजी नं0 145 के पुराने नम्बर क्या क्या बने है राजस्व रेकार्ड से वादी स्वयं सिद्ध करें।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

वाद पत्र की कलम संख्या 2 गलत होकर अस्वीकार है। राजस्व रेकार्ड सही है। वादी का वाद कानूनन चलने योग्य नहीं है। वाद पत्र की कलम संख्या 3 गलत होकर अस्वीकार हैं। वादी के तथाकथित प्रयास कानूनन कोई प्रभाव नहीं रखता हैं वादी को वन विभाग की भूमि को अपने नाम दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं है। वादी को रेकार्ड दुरूस्ती का प्रस्तुत पट्टे के आधार पर कोई अधिकार नहीं है। कलम संख्या 5, 6, 7 व 8 का जवाब अपेक्षित नहीं है।

वाद के कलम संख्या 9 ए अस्वीकार है वादी को प्रस्तुत पट्टे के आधार पर कोई वाद लाने का अधिकार नहीं है। वाद वादी खारिज योग्य है। पत्रावली में जवाब दावा प्रस्तुत होने के पश्चात निम्न लिखित तनकी कायम की गई :–

1– आया कि मौजा पारसोली की साबिक आराजी नम्बर 7 का 40 बीघा रकबा जो वर्तमान में आराजी नम्बर 145 में शामिल हो गया है वह वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा पाने की घोषणा करा पाने के वादी अधिकारी है?

वादीगण

2– आया कि वादी फर्जी पट्टे के व फर्जी वसीयत के आधार पर वाद लाने के अधिकारी नहीं है वाद सव्यय खारिज योग्य है?

प्रति–3 वनविभाग

3– आया कि वादी पट्टे के आधार पर वाद लाने के अधिकारी नहीं है?

प्रति–1,2 सरकार

4– दादरसी ?

पत्रावली पर तनकी पत्र कायम किये जाने के उपरान्त वादी महिपाल सिंह आत्मज स्व0 जगन्नाथ सिंह जी के साक्ष्य वादी हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए थे तथा वक्त प्रदर्श दस्तावेज उनके बयान रिजर्व रखे जाने एवं उसके पश्चात उनकी बजाय उनके पुत्र वादी अजयदीप सिंह के साक्ष्य हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए। जिन्होने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराते हुए अपने बयान कलमबद्ध कराये तथा वक्त मुख्य परीक्षण जिरह प्रतिवादी की निल रही है। इस प्रकार पत्रावली में वादीगण की ओर से साक्ष्य वादी की पूर्ण होने तथा प्रतिवादीगण राज्य सरकार की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होने पर पत्रावली पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

पत्रावली में साक्ष्य वादीगण की पूर्ण होने व प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने पर दावा पत्रावली में उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गयां। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस को वाद पत्र के अनुसार करते हुए निवेदन किया कि मौजा पारसोली की गत आराजी संख्या 7 मे से 40 बीधा भूमि का पट्टा संख्या 115/3 जो कि ठीकाना जागीरदार साहब श्री जगन्नाथ सिंह जी चौहान द्वारा वादी महिपालसिंह जी की माता श्रीमति हेमकुंवर के नाम पर जारी किया गया था। वर्तमान में गत आराजी संख्या 7 का नवीन आराजी नम्बर 145 में शामिल हो गया है। भूमि पर कब्जा हम वादीगण का है, उक्त पट्टे की भूमि को श्रीमति हेम कुंवर जी ने वसीयत के आधार पर वादी राव महिपालसिंह जी को वसीयत की थी लेकिन भूमि हम वादीगण के खाते नहीं अंकन नहीं की गई। इस सम्बन्ध में हमारे द्वारा राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भी निवेदन किया किन्तु कई प्रयास किये जाने पर भी भूमि हमारे नाम पर दर्ज नहीं की गई। इसलिए हम वादीगण को यह वाद पत्र लाने की आवश्यकता हुई है। चूँकि यह वाद पत्र राज्य सरकार के विरूद्ध होने से वादीगण द्वारा विधिवत दफा 80 जा.दी. का नोटिस भी दिया गया था लेकिन निर्धारित अवधि में राज्य सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं होने से यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यकत हो गया हैं। अतः निवेदन है कि वर्णित भूमि को वादीगण के खातेदारी में दर्ज किये जाने की घोषणा फरमाई जावें।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 वन विभाग एवं पैरोकार राज्य सरकार हसीलदार द्वारा अपनी बहस में निवेदन कर बताया कि जो पट्टा के आधार पर वादीगण भूमि प्राप्त करना चाहते है वह पट्टा फर्जी व कूटरचित है। ठीकाना राव जगन्नाथसिंह जी द्वारा ऐसा कोई पट्टा जारी ही नहीं किया है, उनके पट्टे पर कोई हस्ताक्षर नहीं है। वर्तमान में आराजी संख्या 145 वन विभाग के खाते की भूमि है, वन भूमि को वादीगण अपने नाम पर खाते में दर्ज करा पाने का कोई अधिकार नहीं रखते है। ना ही भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है, इतना समय व्यतीत होने के बाद यह दावा लाया गया है, जो अवधि पार दावा है। दावा सव्यय खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में बहस उभयपक्ष की सुने जाने के पश्चात पत्रावली में वादीगण की ओर से प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज के गुणावगुण पर विचार करते हुए नियमानुसार पत्रावली में कायम की गई तनकी अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

1– तनकी नम्बर 1 का निर्णय :–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण का है। वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में जो दस्तावेज इस दावा पत्रावली मे प्रस्तुत किए है उनका उल्लेख किया जाना आवश्यक है। वादी द्वारा जिस आधार पर यह दावा लाया गया है वह पट्टा संख्या 115/3 है, जो प्रदर्श–1 जिसके आधार पर वादी यह भूमि अपने नाम करवाना चाहते है। पट्टे की लेखनी इस प्रकार से है " सिध श्री महाराजाधिराज महाराव जी श्री जगन्नाथ सिंह जी बंचनाथ रानी साहिबा श्री हैमकुंवर जी जो कि मोजा पारसोली में ठिकाने की आराजी नम्बर 86 व 87 व 88 मे से 17 बीघा 5 बिस्वा व आराजी नम्बर 7 मे से 40 बीघा सहिता भूमि कुल मय हक हकूक तुमको हाथ खर्च है, तू बक्षीस दी जाती सो जोगज्यो भोगज्यो था स कोई पोरूण है नही सं. 2007 का जेठ सुध 14 मंगलवार तारीख 30.05.50ई. दस्तखत उदसिंह कोठारी का श्रीमान हुजुर साहब का हुकम से" इस प्रकार राव साहब ने अपनी रानी को हाथ खर्चे के लिए यह भूमियां दिये जाने का उल्लेख किया है" इस पट्टे पर ना तो ठीकाने की कोई छाप मूल होने की लगी हुई है। ना ही जागीरदार साहब के हस्ताक्षर है। इसी पट्टे के आधार पर और भी दावे इस न्यायालय में वादीगण द्वारा प्रस्तुत किए है। यह पट्टा सादा कागज पर जारी किया गया है जो किसने जारी किया है इसके मूल होने प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती है। पत्रावली में प्रदर्श–2 नकल नोटिस दफा 80 जा.दी. का जो वादीगण द्वारा राजस्थान राज्य द्वारा कलेक्टर साहब चितौडगढ व तहसीलदार, बेगूँ व वन विभाग को दिया गया था उसकी प्रति है तथा उक्त नोटिस की जारी किए जाने की रसीद प्रदर्श–3 व प्रदर्श–4 , प्रदर्श–5 है। प्रदर्श–6 नकल जमाबंदी मौजा पारसोली की संवत 2064 की प्रस्तुत की गई है जिसका अवलोकन हमारे द्वारा किया गया इसमें दर्ज आराजी नम्बर 145 रकबा 2.0500 हैक्टर भूमि वन विभाग के नाम दर्ज अंकित हैं। इसके अतिरिक्त और भी अन्य आराजी नम्बरान की भूमियां भी वन विभागे नाम दर्ज है। वादीगण द्वारा भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग के नवीन पुराने आराजी नम्बरान व रकबे का मिलान क्षैत्रफल की खतौनी प्रस्तुत की गई है जो कि प्रदर्श–7 है, जिसमें गत आराजी नम्बर 9 के ही नवीन आराजी नम्बर 145, 146, 147,148 बने होना दर्शाया गया है, जबकि वादीगण की माता हेमकुंवर जी को जो पट्टा दिया गया था वह गत आराजी नम्बर 7 की रकबा 40 बीघा में से दिया गया था, जिसके नवीन नम्बर क्या बने है यह कथन वादीगण का स्पष्ट नहीं होता है, जिस नवीन आराजी नम्बर 145 को लेकर वादीगण अपना वाद लाना बताते है वह गत आराजी नम्बर 9 से बने है जबकि पट्टा गत आराजी संख्या 7 का है, वर्तमान में 145 वन विभाग की भूमि है, जो राज्य सरकार एवं वन अधिनियम के तहत किसी को खातेदारी में दिया जाना न्यायविरूद्ध है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

श–8 इच्छा पत्र (विल्स) की छायाप्रति प्रस्तुत की है, जिसका भी अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। इस प्रकार सभी दस्तावेज के आधार पर यह पाया जाता है कि वादीगण मौजा पारसोली की गत आराजी संख्या 7 रकबा 40बीघा जिसके नवीन आराजी नम्बर 145 होना बताते है को अपने खाते में दर्ज करा पाने के अधिकारी दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर नहीं पाये जाते है। इस प्रकार तनकी नम्बर 1 विरूद्ध वादीगण बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

2– तनकी नम्बर–2 व 3 का निर्णय ::–

इस तनकी नम्बर 2 व 3 को सिद्ध कराने का भार कमशः वन विभाग एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि का है। जिन्होने अपने जवाबदावे में वादीगण की माता श्रीमति हेमकुंवर को जारी किए गये पट्टे संख्या 115/3 के मूल होने पर सन्देह प्रकट किया है तथा कूटरचित बताया है। जैसा कि तनकी नम्बर 1 के निर्णय में उल्लेख किया गया है कि इस पट्टे पर ना तो ठीकाने की कोई छाप मूल होने की लगी हुई है। ना ही जागीरदार साहब के हस्ताक्षर है। इसी पट्टे के आधार पर और भी दावे इस न्यायालय में वादीगण द्वारा प्रस्तुत किए है। यह पट्टा सादा कागज पर जारी किया गया है जो किसने जारी किया है इसके मूल होने प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती है। इसके आधार पर वादीगण का वाद पत्र सिद्ध नहीं होता है साथ ही गत आराजी संख्या 7 के नवीन आराजी नम्बर 145 होना वादीगण बताते है जबकि वर्तमान आराजी संख्या 145 जो कि वन विभाग के नाम पर दर्ज है के गत आराजी नम्बर 9 से बने होना दस्तावेज से सिद्ध होता है, वादीगण द्वारा यह कथन अपने वाद में कहा कि गत आराजी संख्या 7 के नये आराजी नम्बर का रिकोर्ड नहीं होना बताया है यह तथ्य वादीगण को ही जरिये रिकोर्ड सिद्ध कराना था जो वह नहीं करा पाये है। इस प्रकार तनकी नम्बर 1 के निर्णय में वादीगण मौजा पारसोली की गत आराजी संख्या 7 रकबा 40 बीघा जिसके नवीन आराजी नम्बर 145 होना बताते है को अपने खाते में दर्ज करा पाने के अधिकारी दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर नहीं पाये जाते है। यह तनकी नम्बर 2 व 3 दस्तावेजी प्रमाण से स्वतः ही प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित हो जाती है।

इस प्रकार पत्रावली में कायम की गई तनकी को वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपने पक्ष में निर्णित करा पाने में विफल रहे है। वादीगण मौजा पारसोली के गत आराजी संख्या 7 रकबा 40 बीधा भूमि जिसके नये नम्बर 145 होना बताते हुए भूमि अपने खाते में घोषित कराना चाहते है जबकि आराजी नम्बर 145 वन विभाग की भूमि है, जो कि गत आराजी नम्बर 9 से बनी होना प्रमाणित है। इस प्रकार वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाने योग्य पाया जाता हैं।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर वादीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से दावा वादीगण का एतद् द्वारा खारिज किया जाता हैं ।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूं

मूल वाद में अंतिम डिकी
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या ::– 59 / 2007

महिपालसिंह आत्मज स्व. राव जगन्नाथसिंह जी राजपूत निवासी पारसोली तहसील बेगूँ के बजाए ::–

1 / 1– अजय जीतसिंह आत्मज स्व. महिपालसिंह जी राजपूत निवासी पारसोली
1 / 2– श्रीमती हंसाकुमारी पत्नि स्व. महिपालसिंह जी राजपूत निवासी पारसोली
वादीगण

विरूद्ध

1– श्री राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलेक्टर महोदय, चितौडगढ़
2– श्रीमान तहसीलदार साहब, बेगूँ
3– श्रीमान वन मंडल जिला वन अधिकारी महोदय चितौडगढ़
प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण ईनाणी की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री पैरोकार सरकार तहसीलदार बेगूँ की उपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 27.11.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष अंतिमत निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधि0 का खारिज किया जाता है । दावा अंतिम डिकी किया जाता है :–

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर वादीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से दावा वादीगण का एतद् द्वारा खारिज किया जाता हैं ।

यह अंतिम डिकी आज दिनांक 27.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ